

Vol 4 Issue 3 April 2014

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Catalina Neculai University of Coventry, UK	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Horia Patrascu Spiru Haret University, Bucharest,Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences AL. I. Cuza University, IasiMore

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yaliker Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net



अशोक और बौद्ध धर्म

Nishant Mathur

सारांश :-

अशोक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जिसने उसे इतिहास में उसे अमर कर दिया, जिसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, वह है अशोक का धम्म। यहाँ पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अभिलेखों के आधार पर अशोक को बौद्ध ठहराना कहाँ तक उचित है। या कहा जाय तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अन्य समकालीन धर्मों की तरह ही प्रश्रय दिया या फिर उसने पूर्ण रूप से ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यद्यपि प्रारम्भ में कुछ विद्वानों यथा एच. एस. विल्सन, एडवर्ड टामस, ने अशोक के बौद्ध होने पर आशंका जताई थी किन्तु अब अधिकांश इतिहासकार अशोक को बौद्ध स्वीकार कर चुके हैं। वैसे यदि हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म या फिर अन्य समकालीन धर्म के मूल दर्शन की आर ध्यान दें तो अधिकांशतः उनमें उसी दर्शन को पायेंगे जो की हमें ब्राह्मण धर्म के महान दार्शनिक ग्रन्थों अर्थात् उपनिषदों में देखने को मिलता है। एवं इस आधार पर जो तथाकथित भारतीय गैर ब्राह्मण धर्म हैं वे हमें ब्राह्मण धर्म की ही शाखायें नज़र आयेंगे एवं जिन्हें हम कुछ हद तक ब्रह्मण धर्म का ही सुधारात्मक पक्ष कह सकते हैं। और यह संभव है कि अशोक ने इसी आधार पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हो। क्योंकि वह अपने भावू पाषाण फलक-लेख में बुद्ध, धम्म और सघं में तो विश्वास व्यक्त करता है किन्तु उसने अपने अभिलेखों में बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का कोई उल्लेख नहीं किया है। अन्य अभिलेखों का अध्ययन करने से भी हमें यही प्रकट होता है कि वह बौद्ध धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप की तरफ नहीं वर्तन नैतिक पक्ष की ओर आकृष्ट हुआ था। जो सभी धर्मों में लगभग समान है।

प्रस्तावना :

इस सम्बन्ध में हम अशोक के “भावू लघु शिलालेख ;9ख ” को ही लें। इस शिलालेख को विद्वान अशोक के बौद्ध होने का महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं। इसकी प्रथम पंक्ति में ही उत्कीर्ण है कि ;प्रियदसि लाजा मागधे संघ अभिवादेतून आहद्ध अर्थात् प्रियदसि राजा ने मगध के संघ को अभिवादन कहा। आगे के लेख में प्रसिद्ध बौद्ध वाक्यवलि के साथ अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था प्रकट की और अपने इस विश्वास की बात कहता है कि बुद्ध जो कुछ भी कहता है वह सब सत्य है। ; भगवंता बुधेन मासिते सवे से सुभसिते वा ह्द

इस अभिलेख का भंडारकर जी ने जो अभिप्राय लगाया है उसके आधार पर वह लिखते हैं कि “इस अभिलेख के साम्प्रदायिक रूप के बारे में सम्भवतः कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस संदेश का उद्देश्य कुछ धम्म पर्यायों या धम्मग्रन्थों की संख्या गिनना है। जिसके बारे में उसकी हार्दिक अभिलाषा थी कि उन्हें न केवल भिक्षु और भिक्षुणि भी पढ़ें बल्कि उपासक और उपासिकायें भी पढ़ें। और सुनकर याद भी रखें ताकि सद्धर्म चिर स्थाई रहे। अशोक ने जिन ग्रन्थों का निर्देश किया है वह है -:

- १.-विनयसमुक्से
- २.-अलियवसाणि (इसे भंडारकर ने अंगुत्तरनिकाय से सम्बद्ध किया है।)
- ३.-अनागत भयानि
- ४.-मुनिगाथा (सुत्त निपात से सम्बद्ध किया है।)
- ५.-मोनेयसूते
- ६.-उपासित पसीने

आगे भंडारकर जी कहते हैं कि अशोक ने इनमें से जिन बौद्ध ग्रन्थों को छांटा है उससे प्रकट होता है वह किस प्रकार का बौद्ध था। उसका हृदय बौद्ध मत के कर्मकांडीय या दार्शनिक अंश की ओर लट्टू नहीं था वह तो उस धर्म के या इस प्रसंग में यह भी कह सकते हैं कि वह किसी भी धर्म के मूल सिद्धांतों की ओर मुग्ध था” ।

श्रीराम गोयल जी भी भंडारकर जी के इस कथन को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि इन ग्रन्थों के अंतः साक्ष्य से प्रकट होता है कि अशोक बौद्ध धर्म के दार्शनिक या कर्मकांडीय स्वरूप को नहीं वरून नैतिक पक्ष में दिलचस्पी रखता था उदाहरणार्थ, 'महाअरियवसंपटिपवद्म' ;जिसकी पहचान अलियवसाणि से की गई है। इसमें भिक्षुओं के चार आचार मार्गों का विधान है जिसमें कहा गया है कि भिक्षुओं को सादे वेश, सन्मार्ग से प्राप्त किये हुये सादे भोजन, छोटे से छोटे मकान एवं ध्यान में आनन्द लेना चाहिये। मुनिगाथा एवं मोनेयसूते भी ऐसी ही बातें करते हैं। मुनिगाथा के बारे में गोयल जी बताते हैं कि इसमें एकाकी रूप से ध्यान करने वाले भिक्षु के जीवन की ग्रहस्थों के परेशानी से भरे जीवन से तुलनात्मक श्रेष्ठता बताई गई है।

गोयल कहते हैं कि अशोक द्वारा वर्णित अधिकांश ग्रन्थों में ऐसी बातें निहित हैं जिन्हें भिक्षु या भिक्षुणि ही नहीं वरून साधारण उपासक भी सुन सके। इसके अलावा गोयल महोदय शिलालेख में वर्णित एक अन्य ग्रन्थ अनागत भयाणि का उल्लेख करते हैं इसमें भविष्य के उन भयों का उल्लेख है जो धार्मिक साधना में किसी समय भी बाधक हो सकते हैं जैसे रोग, दुःख, युद्ध, फूट, मृत्यु आदि। मनुष्य को इन सबका ध्यान रखते अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिये। लेकिन इन भयों के अलावा, जो प्रकृत्या वाह्य होते हैं कुछ ऐसे भय भी होते हैं जो आन्तरिक व मानसिक जीवन से सम्बद्ध होते हैं जो कि मनुष्य की आध्यात्मिक सिद्धि में वाह्य भयों से भी अधिक बाधक सिद्ध हो सकते हैं। इनको जानने हेतु अशोक ने राहुलोवाद सुत्त की ओर ध्यान दिलाया जिसमें बुद्ध ने अम्बलटिक राहुल को यह उपदेश दिया है कि दीक्षा के समय एवं उसके उपरांत काया, वाणी, और मन की प्रत्येक प्रक्रिया की कड़ाई से जांच करते रहना चाहिये जिससे मनुष्य उपर्युक्त बाधाओं के कारण मिथ्याचार में न फंस जाए”।

इस प्रकार अशोक ने जिन बौद्ध ग्रन्थों की बात अपने भाब्रु शिलालेख में कही है वह किसी भी ऊँचे व उदात्त जीवन के लिये यत्नवान व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धर्म का हो, या किसी भी मत को मानने वाला हो अवश्य ही शान्ति लाभ करेगा।

भाब्रु शिलालेख की तरह ही अशोक के सारनाथ, साँची, और प्रयाग ;संभवतः पहले कौशाम्बी में था व बाद में इसे प्रयाग में स्थानान्तरित कर दिया। बुद्ध के शासनादेशों को अशोक को बौद्ध के रूप में प्रस्तुत करने हेतु एक साक्ष्य माना जाता है। इसमें संघभेद को रोकने हेतु अशोक द्वारा दिये गये आदेशों का वर्णन है। इसमें अशोक कहता है कि “ जो भी कोई व्यक्ति, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणि संघ में फूट डाले उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाये साथ ही वह कहता है कि यह आदेश भिक्षुओं के संघ को बता दिया जाये”। इसमें से एक लेख ;प्रयागबुद्ध से यह भी प्रकट होता है कि वह कौशाम्बि के महामात्रों को जारी किये गये थे। संभव है कि अन्य दोनो लेख भी सम्बन्धित जिलों के महामात्रों को जारी किये गये हों। साथ ही अशोक ने इन लेखों को उन स्थानों पर रखवा दिया जहाँ भिक्षु या भिक्षुणि व महामात्र सभी इसे आसानी से बार बार पढ़ें व इसे स्मरण रखें।

यहाँ पर मैंने, रोमिला थापर जी ने अपनी पुस्तक में जो संघभेद अभिलेखों पर समेकित पाठ प्रस्तुत किया है, उसे उद्धृत किया है कि “देवताओं के प्रिय, कौशाम्बी(पाटलिपुत्र) के महामात्रों को यह आज्ञा देते हैं : कोई संघ में फूट न डाले। भिक्षु और भिक्षुणियों में एकता लाई गई है और यह एकता तब तक रहनी चाहिये जब तक मेरे पुत्र और प्रपौत्र, चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। जो कोई संघ में फूट डालेगा, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणि, उसे सफेद कपड़े पहना कर ऐसे स्थान पर रख दिया जाये जहाँ न भिक्षु रहते हों, न भिक्षुणियाँ। क्योंकि मेरी कामना है कि संघ की एकता बनी रहे और चिर स्थाई हो। यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणि संघ को बता दिया जाये। देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं : तुम्हें इस लेख की एक प्रतिलिपी सभाभवन में रखनी चाहिये और एक प्रति उपासकों को देनी चाहिये। उपासक हर उपोसथ’(दोष स्वीकृति और प्रायश्चित्त) के दिन इस आज्ञा का अनुमोदन करने आयें। इसी प्रकार महामात्र करें। वह भी नियमित रूप से उपोसथ के दिन आयें और इस आदेश का अनुमोदन करें और इसका प्रचार करें। अपने सम्पूर्ण जिलों में तुम्हें इस आज्ञा को इसी रूप में प्रचारित करना चाहिये। तुम्हें इस विशेष आदेश को सब किलों और जिलों में (सैनिक नियंत्रण के अन्तर्गत) प्रचारित करना चाहिये”।

भंडारकर इन लेखों को साम्प्रदायिक ढंग का कहते हैं व कहते हैं कि अशोक बौद्ध संघ में से सब प्रकार की फूट और भेद-भाव समाप्त करने पर तुला हुआ था। इस कार्य की पूर्ती के लिये उसने तीन मार्ग पकड़े। पहले तो उसने यह आदेश जारी किया कि जो संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे पीले भिक्षु के वेश के स्थान पर श्वेत वस्त्र पहना दिये जायेंगे और ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया जायेगा जहाँ भिक्षु नहीं रहते। दूसरे शब्दों में, उसका अपने और साथियों के से तत्काल सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा। और क्योंकि अशोक का आदेश प्रत्येक बौद्ध संघ को भेजा जाना है इसलिये यदि कोई झगड़ालू भिक्षु अपने संघ विरोधी सिद्धान्त अन्य भिक्षुओं के सामने रखना चाहेगा तो उसे स्वभावतः संकोच होगा। इस तरह फूट का तीन चौथाई भय समाप्त हो जायेगा। पर संभव है कि इस तरह संघ से बाहर किया भिक्षु विरोधी उपासकों को प्रभावित करने में सक्षम होजाये और उनकी सहायता समाज में फूट पैदा करे। इस पर अशोक सचेत है और महामात्रों को आदेश की एक प्रति उपासकों को देकर देख सकने योग्य स्थान पर चिपकाने का आदेश देता है।

बहुत से इतिहासविदों ने अशोक के इस प्रयास का कारण उसका बौद्ध हो जाना बताया है क्योंकि कोई भी सच्चा बौद्ध अपने धर्म में फूट नहीं चाहेगा। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार तो बौद्ध संघ में मतभेद बुद्ध की मृत्यु के उपरान्त ही प्रारम्भ हो गये थे। साहित्यिक परम्परा के अनुसार वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीती ;३८३ई.पू.बुद्ध के पूर्व संघ में दस बातों को लेकर मतभेद था। इनमें से कुछ बातें तो मामूली सी प्रतीत होती हैं किन्तु जो गम्भीर मुद्दा था वह था “संघ को दान में सोना, चाँदि स्वीकार करना चाहिये अथवा नहीं”। इन्ही कुछ मुद्दों को लेकर संघ स्थाविर व महासाधिक दो दलों में टूट गया।

डा.राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि “ सनातनी व समाज सुधारक विभागों में परस्पर मतभेद का मुख्य विषय बुद्धत्व की प्राप्ति के प्रश्न पर था। स्थाविरों का मत था कि यह एक ऐसा गुण है जो विनय पिटक में उल्लिखित नियमों का अक्षरशः पालन करने से प्राप्त किया जाता है। सुधारवादी कहते थे कि बुद्धत्व एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक मनुष्य के अन्दर सहज रूप में विद्यमान रहता है और पर्याप्त मात्रा में उसका विकास होने से वह ऐसे व्यक्ति को तथागत की श्रेणी तक पहुँचा देता है”।

अनुश्रुतियों के अनुसार “ तृतीय बौद्ध संगीती मौर्य शासक अशोक के काल में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्त

तिस्य ने की तथा इसमें स्थविर सम्प्रदाय का ही बोलबाला था। मोगलीपुत्र ने महासांघिक मतों का खण्डन करते हुए अपने सिद्धान्तों ही बुद्ध के मौलिक सिद्धान्त घोषित किये। उन्होंने 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ का संकलन किया जो अभिधम्म पिटक के अन्तर्गत आता है"।

जबकि भंडारकर महोदय इन बौद्ध अनुश्रुतियों को अवांछनीय व बेहूदी व काफ़ी हद तक असत्य करार देते हैं। इनका मानना है कि जो दूसरी बड़ी परिषद वैशाली में कालाशोक के काल ;३८३ ई.पू.ब्द में हुई थी वह वास्तव में अशोक के काल में हुई थी एवं कालाशोक कोई और नहीं बल्कि अशोक ही है, जिसे किवदन्तियों में कालाशोक कहा गया है। और इनका मानना है कि अभी भी बौद्ध संघ अविभाजित था।

भंडारकर जी ने अभिलेखों के आधार पर जो अशोक का इतिहास प्रस्तुत किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। किन्तु मेरे विचार से अनुश्रुतियाँ, किवदन्तियाँ कितनी ही झूठी हों उनमें कहीं न कहीं सत्यता का आधार अवश्य होता है जिसे हम नकार नहीं सकते एवं व्यवहारिक तौर पर भी देखें तो कोई भी मत कितना ही सुस्थापित क्यों न हो २०० वर्ष के अन्तराल में उसमें भेद होना स्वभाविक है क्योंकि समय के साथ प्रत्येक वस्तु में बदलाव आता ही है और यदि वह समय के अनुसार नहीं बदलती तो उसका पतन भी हो सकता है। ऐसे में रूढ़ीवादी और उदारवादी मतों में विभाजन होना लाज़मी है। और यही शायद बौद्ध मत के साथ हुआ और वह स्थविर और महासांघिक दो भागों में विभाजित हो गया। और इसी कारण मुझे भंडारकर जी के उल्लेखों में व्यवहारिकता के पुट की कुछ कमि प्रतीत हुई है। अतः मेरे विचार से अशोक बौद्ध संघ के महासांघिक विभाग से प्रेरित था क्योंकि उसने बौद्ध मत के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन नहीं किया जो कि उसके अभिलेखों से स्पष्ट है। शायद इसी कारण अशोक ने तृतीय संगीती का उल्लेख अपने लेखों में नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि वह बौद्ध मत के कट्टर स्वरूप को पसन्द नहीं करता हो और किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देना चाहता हो। किन्तु उसने स्थविरों का स्पष्टतः विरोध नहीं किया क्योंकि एक प्रशासक की हैसियत से वह नहीं चाहता होगा कि उसका अपनी प्रजा के किसी भी वर्ग से कोई मतभेद हो। इसके साथ ही अशोक ने बौद्ध मत के उन व्यवहारिक, नैतिक तत्वों को ग्रहण किया था जो किसी भी सम्प्रदाय के व्यक्ति के लिये मान्य हो सकता है, जो किसी भी व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा कर सकते थे। भाब्रु अभिलेख में वह विनय पिटक के समग्र अध्ययन की बात नहीं करता बल्कि उन ग्रन्थों के अध्ययन की बात करता है जिससे कोई भी व्यक्ति पढ़कर उन्नत हो सकता था। इसके अलावा उसने जो सारनाथ, साँची व प्रयाग शासनादेशों में संघभेद रोकने की बात कही है यदि वह समस्त अविभाजित बौद्ध संघ से सम्बन्धित होती तो उस आदेश का कार्यक्षेत्र सीमित न होता और न ही केवल क्षेत्र विशेष के महामात्रों हेतु होता। बल्कि यदि अशोक सम्पूर्ण बौद्ध संघ में मतभेद को रोकने की कामना रखता है तो वह आदेश अधिक से अधिक क्षेत्र में कड़ाई से फैलाता। क्योंकि बौद्ध संघ में होने वाले भेद को वह केवल तीन क्षेत्रों में रोककर वह बचा नहीं सकता था।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि वह फिर किस प्रकार के भेद को रोकना चाहता था व दूसरा प्रश्न उठता है कि अपने संघ के साथ उसका व्यवहार अनुगत जैसा था या फिर अधिपति जैसा था। इस सम्बन्ध में गोयल महोदय का मैं समर्थन करता हूँ। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रियदर्शी अशोक में लिखा है कि "कुल जाति जनपद ग्राम आदि के संघ द्वारा की गयी संविदा का उल्लंघन करने वाला राज्य की ओर से दण्डित किया जायेगा। इस दण्ड का रूप राष्ट्र(देश) से वहिष्कृत कर देना था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देश संघो, जाति संघो, और कुल संघो द्वारा किये गये 'समय' (संविदा) का उल्लंघन या अतिक्रमण न किया जाना बहुत आवश्यक बताया है"।

इस प्रकार जो भिक्षु या भिक्षुिण संघ में रहते थे उनको संघ के नियमों का पालन बहुत आवश्यक था। हो सकता है कि अशोक ने संघ में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का अनुभव किया हो जो कि संघ जैसी नैतिक संस्था को दूषित कर रहा हो। ऐसे में इस तरह के विधान एक शासक द्वारा किया जाना स्वभाविक था। इस प्रकार की धारणा इसलिये उचित प्रतीत होती है क्योंकि कभी अशोक के अभिलेखों से ऐसा आभास नहीं हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म के समस्त सिद्धान्तों को या इसके मूल दर्शन यथा चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, या किसी अन्य गूढ़ सिद्धान्त का पालन या प्रचार किया हो। साथ ही उसने अन्य सम्प्रदाय के लोगों का भी उतना ही ध्यान रखा। उसने अपने लेखों में ब्राह्मणों, श्रमणों के आदर की, उनको दान तर्पण की बात कही है। अजीवकों को इसने गुफा स्थल दान दिये।

इस प्रकार मैं भंडारकर जी के मत से कुछ असहमत हूँ। मेरा मानना है कि बौद्ध अनुश्रुतियों के आधार पर यह माना जा सकता है कि अशोक के पूर्व बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था और अधिक नहीं तो कम से कम महासांघिक एवं स्थविर दो भागों में तो विभाजित हो ही गया था और अशोक ने महासांघिक विचारधारा को ही महत्व प्रदान किया। एवं संभव है कि अशोक का पुत्र महेंद्र स्थविरवाद में विश्वास रखता हो अतः उसे अशोक ने लंका भेज दिया हो क्योंकि "स्थविरवाद लंका के बौद्ध मत की वंश परम्परा का पुर्वज माना जाता है"।

इतिहासकारों में एक प्रमुख विवाद सदैव रहा है। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखकर अपनाया था जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि अशोक पहले से ही बौद्ध मत का अनुयाई था।

गोयल महोदय कहते हैं कि बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के साथ अशोक के सम्बन्ध विषयक जो अनुश्रुतियाँ मिलती हैं उनमें कुछ सही हो सकती हैं, कुछ में न्यूनाधिक सत्यांश है, और कुछ पूर्णतः कल्पनाश्रित हैं। बौद्ध कथाओं के अनुसार अशोक पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। वह बहुत अत्याचारी, और क्रूर ;चण्डाशोकब्द था। उसने अपने भाईयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। और जनता के साथ नृशंस व्यवहार करता था। किन्तु बाद में बौद्धों के सम्पर्क में आने पर उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया और वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक आदर्श नरेश बन गया। वैसे अशोक की नृशंसता से सम्बन्धित अनेक कहानीयाँ हमें बौद्ध साहित्य में देखने को मिल जायेंगी जिनसे हम अच्छी तरह सुपरिचित हैं। ये अनुश्रुतियाँ अतिशयोक्तियों से भरी हुई हैं अतः बिना अभिलेखों के अध्ययन के किसी भी निष्कर्ष पर पहुचना सही नहीं है। गोयल महोदय अभिलेखों के आधार पर मानते हैं कि कलिंग विजय के कारण ही अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुआ। रोमिला थापर जी कहती हैं कि "अशोक के फरमानों की सहायता से धर्म परिवर्तन की समस्या का स्पष्टिकरण हो सकता है। छोटे शिलालेखा में उसने अपना बौद्ध धर्म से अपना सम्बन्ध स्वीकार किया है।

इसका प्रसंगोचितभाग इस प्रकार है :

‘...अधिकानि अद्धतियानि वस्सानि य हकं उपासके नो तु खो बाधं प्रक्कंते हुसं एकं स्वछरं सातिरेके तो खो सम्बच्छरे यं मया सङ्घे उपयीते बाधं च मे पक्कंते...’

‘...मैं कोई ढाई वर्ष से अधिक एक साधारण उपासक रहा हूँ परन्तु एक वर्ष तक मैंने कोई विशेष उन्नति नहीं की। पिछले एक साल से अधिक मैं भिक्षुसंघ के निकट आया हूँ और मैं अधिक उत्साही हो गया हूँ...’

इस प्रज्ञापन के आधार पर कहती हैं कि जब यह प्रज्ञापन उत्कीर्ण किया गया तब उसे बौद्ध हुये लगभग पौने चार वर्ष हो चुके थे। इस प्रज्ञापन में उसके धर्मिक उत्साह के कार्य का जिन शब्दों में वर्णन है उससे शिला प्रज्ञापन ४ का स्मरण हो आता है और दोनों की थोड़ी भी तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में अशोक ने एक ही वस्तु, अर्थात् अपने धर्म प्रचार सम्बन्धि कार्य का वृत्त दिया है। और चूंकि चौथे लघु प्रज्ञापन अशोक के राज्य काल के १२ वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया गया था अतः भंडारकर महोदय मानते हैं कि अशोक ने इस समय से पौनेचार वर्ष पूर्व अर्थात् आठवें वर्ष से पूर्व बौद्ध मत ग्रहण किया होगा। मैं यहाँ पर पुनः कहूँगा कि भंडारकर जी शायद अभिलेखों के अलावा अन्य तथ्यों को पुरी तरह से नकारने पर तुले थे। उनकी यह गणना कुछ सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि उन्होंने जैसा कि अशोक ने कहा था कि वह ढाई वर्ष पूर्व एक साधारण उपासक था एवं उसे धर्म के प्रति तीव्र पराक्रम करते हुये एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ है, इन दोनों समय कालों को एक साथ जोड़ कर कुल समय पौने चार वर्ष बताया है जबकि अशोक के उल्लेख से प्रतीत होता है कि ढाई वर्ष पहले वह केवल एक साधारण उपासक था एवं किन्तु तीव्र पराक्रम करते हुये उसे एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ होगा। इस प्रकार कुल समय ढाई वर्ष ही प्रतीत होता है क्योंकि ये दोनों घटनायें एक ही समय काल के अन्तर्गत लगती हैं। इस आधार पर गोयल महोदय की गणना के अनुसार उसके तीव्र पराक्रम का समय उसके शासन के ८वें वर्ष के लगभग एक या डेढ़ वर्ष बाद अर्थात् ८वां वर्ष होगा। उसके बाद उसके तीव्र पराक्रम वाले भाग को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं : २५६ दिन अर्थात् करीब साढ़े आठ माह जो उसने दौरे पर यानी धर्म यात्रा में बिताये और उसके पूर्व व्यतीत होने वाला करीब एक वर्ष।

इस सम्बन्ध में पाण्डेय जी का कथन है कि “यह संभव है कि उसके हृदय परिवर्तन का कारण एक मात्र कलिंग युद्ध न रहा हो तथापि सम्पूर्ण १३वें शिलालेख को पढ़ने से यही लगता है कि कम से कम यह अन्य संभव कारणों के बीच एक प्रबल कारण अवश्य रहा होगा। इस अभिलेख में अशोक युद्ध में हुये भीषण संहार तथा तज्जनित मानव-क्लेश का उल्लेख करता है। इस प्रकार की रक्तरंजित विजय पर अपना अनुशोचन प्रकट करता है। यहीं से उसने धर्म विजय को प्रमुखतम विजय मान लिया। इससे यही प्रतीत होता है कि अशोक पहले से ही बौद्ध मत में विश्वास रखता था किन्तु कलिंग युद्ध की विभीषिका ने उसे अत्यन्त द्रवित कर दिया और उसने बौद्ध मत के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर एक ऐसे धर्म प्रचार का निर्णय लिया जो समस्त मानव के कल्याण में सहायक हो।



Nishant Mathur

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net